रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 407] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 1, 1975/आश्विन 9, 1897
No. 407] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 1, 1975/ASVINA 9, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 1st October 1975

S.O. 564(E).—Whereas, in the opinion of the Central Government it is necessary and expedient so to do for maintaining supplies and services essential to the life of the community;

And whereas, any strike in the establishment of the Corporation of Calcutta would prejudicially affect the maintenance of supplies and services essential to the life of the community, it is necessary and expedient to prevent strikes in the establishments of the said Corporation;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by rule 118 of the Defence and Internal Security of India Rules, 1971, the Central Government hereby prohibits, with immediate effect, any strike in connection with any industrial dispute in the establishments of the Corporation of Calcutta for a period of six months.

[No. F.S-42025/22/75/DIA]
S. S. SAHASRANAMAN, Dy. Secy.

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 1975

का० आ० 564 (अ).—यतः केन्द्रीय सरकार की राय में समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक प्रदाय और सेवाएं बनाए रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है;

और यतः कलकत्ता के निगम के प्रतिष्ठानों में कोई हड़ताल समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक प्रदाय और सेवाओं को बनाये रखने के लिए प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, इसलिए उक्त निगम के प्रतिष्ठानों में हड़तालों को रोकना आवश्यक और समीचीन है;

अतः अब, भारत रक्षा और आन्तरिक सुरक्षा नियम, 1971 के नियम 118 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार कलकत्ता के निगम के प्रतिष्ठानों में किसी भी विवाद से सम्बन्धित किसी भी हड़ताल को तुरन्त से छः माह की अवधि के लिए प्रतिषिद्ध करती है।

[सं० एफ० एस-42025/22/75-डि० आई०ए०]

एस० एस० सहस्रनामन, उप सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975